Gmail

Shivam Gupta <shivamgupta9307215205@gmail.com>

Regarding Hearing dated 23-12-2025 in S-1 Court

Shivam Gupta <shivamgupta9307215205@gmail.com> Tue, Dec 23, 2025 at 8:16 AM
To: RAJ KUMAR VISHWAKARMA <hearingcourts1.upic@up.gov.in>
Cc: dcmir <dcmir@allahabadhighcourt.in>

BEFORE THE STATE INFORMATION COMMISSION, UTTAR PRADESH

Case No: S01/A/1731/2025

Registration No: A-20251100869

In the Matter of: Shivam Gupta vs. CPIO, District Court Mirzapur

WRITTEN SUBMISSIONS OF THE APPELLANT

1. Facts of the Case and Discrepancy in Records

- The Appellant sought the "Status of Receipt" of **Charge Sheet No. 88/2025 (P.S. Kotwali Katra)**.
- The Circle Officer (City), Mirzapur, has confirmed in writing (Report dated 31.05.2025) that the Charge Sheet was dispatched to the Court on **17.05.2025.**
- However, Court office clerks verbally denied its receipt, creating a situation where a critical criminal record is "missing" between two public authorities.

2. Countering the CPIO's Rejection (Order dated 16.12.2025)

- **Administrative vs. Judicial:** The CPIO wrongly invoked Rule 26 (Judicial Matter). The "status of receipt" in a Dak/Transit Register is an **administrative fact**, not a judicial record. It only becomes part of a "Paper Book" or "Judicial Proceeding" once cognizance is taken by a Magistrate.
- **Inapplicability of Rule 141:** The CPIO suggested using Rule 141 (General Rules Criminal) for a search. This is impossible because Rule 141 requires a **Case Number**, which does not exist because the Court denies receiving the file. RTI is the only remedy for this "traceability" issue.

3. Procedural Lapses and Misleading Directions

- **Deemed Refusal:** The CPIO failed to respond within the statutory 30-day limit (Application dated 07.08.2025), which is a "Deemed Refusal" under Section 7(2).
- **Misleading 3-Day Limit:** After the communication exchange, the CPIO provided a **legally invalid 3-day limit** to submit a representation/appeal to the District Judge.
- **Good Faith Compliance:** Despite the invalidity of this 3-day window, the Appellant submitted the representation to the District Judge (FAA) in **immediate**

compliance.

- **FAA Failure:** The District Judge (FAA) failed to respond or dispose of the appeal within the mandatory 30-45 day period under Section 19(6).

4. Overriding Effect of RTI Act

- Under **Section 22**, the RTI Act overrides any inconsistent rules (including Allahabad High Court RTI Rules 2006) that seek to obstruct transparency regarding the movement of public records.

PRAYER

It is most humbly prayed that this Honorable Commission may:

1. **Direct the CPIO** to conduct a physical search of the **Dak/Receipt Register for 17.05.2025** and provide the exact status of the Charge Sheet.
2. **Impose a penalty** on the CPIO under **Section 20(1)** for providing misleading information (the 3-day limit) and for "Deemed Refusal".
3. **Direct the information to be provided free of cost** as per Section 7(6) due to the delay.

Date: 23.12.2025

Place: Mirzapur

Respectfully Submitted, Shivam Gupta (Appellant)

On Mon, Dec 8, 2025 at 3:57 PM RAJ KUMAR VISHWAKARMA <hearingcourts1.upic@up.gov.in> wrote:

> Please find the attachment

---

reprstodjmzp.pdf
587K

Gmail

Shivam Gupta <shivamgupta9307215205@gmail.com>

Regarding case no. S01/A/1731/2025 REG NO.A-202511008

Shivam Gupta <shivamgupta9307215205@gmail.com>
To: District Court Mirzapur <dcmir@allahabadhighcourt.in>

Thu, Dec 18, 2025 at 2:05 PM

Sought information- Central Public Information Officer is requested to provide status of chargesheet in the concerned office belonging to the district court Mirzapur.

BEFORE THE HONORABLE FIRST APPELLATE AUTHORITY / DISTRICT JUDGE, MIRZAPUR

In the Matter of: Shivam Gupta ... *Appellant/Applicant* **Vs. Central Public Information Officer (CPIO), Court No. 01, Mirzapur** ... *Respondent*

Appeal Reference: Against Order dated 16.12.2025 (Letter No. 12/2025)

RTI Registration No: DNMZP/R/2025/60017

MEMORANDUM OF REPRESENTATION

Most Respectfully Showeth:

1. Facts of the Dispute: The Appellant sought information regarding the status of **Charge Sheet No. 88/2025 (P.S. Kotwali Katra)**. While the Circle Officer (Police) has confirmed in writing that the Charge Sheet was dispatched to the Court on 17.05.2025, the office clerks of the concerned court have verbally denied its receipt. To resolve this discrepancy between two public authorities, the Appellant sought written confirmation of the "Status of Receipt" via RTI.

2. Rebuttal of CPIO's Grounds for Rejection:

- **A. Misapplication of Rule 26 (Judicial Matter):** The CPIO has claimed that the information concerns a matter "pending adjudication." This is legally untenable. A Charge Sheet only becomes a part of "Judicial Proceedings" or the **"Paper Book of the Court"** once it is officially received, scrutinized, and "Cognizance" is taken by the Magistrate. If the file is missing or its receipt is being denied, it is **NOT** part of any judicial proceeding. Information regarding the physical transit and administrative receipt of a file is a purely **Administrative Fact** and is squarely covered under the RTI Act, 2005.
- **B. Failure of Obligatory Duty of Inquiry (Section 5(4)):** Under Section 5(4) of the RTI Act, the CPIO was under an **obligatory duty** to make an inquiry with the Munsarim (Filing Section) or the Record Keeper. Since the Police have provided evidence of dispatch, the CPIO cannot simply reject the application without conducting an internal search of the **Dak/Receipt Register**. The CPIO's

failure to do so has resulted in a "missing" legal document, which is a serious administrative lapse.

- **C. Technical Obstruction via Rule 3 and Rule 141:** * **Rule 3:** The Appellant's queries are not "multiple questions" but a single request for the **traceability** of one specific document.
    - **Rule 141:** This rule (General Rules Criminal) allows for a search of *registered* cases. Since the status of this Charge Sheet is "unconfirmed," it has no Case Number, making it impossible to use Rule 141. RTI is the only available remedy.

3. Legal Ground – Section 22 Override: The RTI Act, 2005, under **Section 22**, has an overriding effect over any other law or rules (including the Allahabad High Court RTI Rules 2006) in case of inconsistency. Using technical rules to shield the "missing" status of a criminal charge sheet is inconsistent with the transparency mandated by the Act.

PRAYER

It is most humbly prayed that this Honorable Authority may be pleased to:

1. **Set aside** the CPIO's order dated 16.12.2025.
2. **Direct the CPIO** to conduct a physical inquiry into the Receipt/Dak Register of the Court for the date 17.05.2025 (and subsequent dates).
3. **Provide a clear statement** as to whether the Charge Sheet No. 88/2025 was received by the Court office, and if so, the name of the Court where it is currently being processed.

Date: 18.12.2025

Place: Mirzapur

Respectfully Submitted,

Shivam Gupta Appellant

[Quoted text hidden]

---

reppolice.pdf
275K

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट न० 01 मीरजापुर।

पत्रांक संख्या- 12 सन 2025

1- प्रार्थी शिवम गुप्ता द्वारा माननीय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/ जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के समक्ष दाखिल अपील दिनांकित 12-09-2025 के अनुसार उनकी ओर से जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांकित 07-08-2025 प्रस्तुत कर निम्न जन सूचनाएँ मॉगी गयी थीः-

1.आरोप पत्र संख्या- 88/2025 थाना कोतवाली कटरा, दिनांकित 17-05-2025 की अद्यतन स्थिति क्या है?

2.क्या आरोप पत्र कार्यालय में प्राप्त हो गया है?

3-यदि आरोप पत्र कार्यालय को प्राप्त हुआ है तो प्राप्ति की तिथि तथा उसके बाद की कार्यवाही का विवरण ?

2- सहायक जन सूचना अधिकारी मीरजापुर की आख्या के अनुसार,

1."माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा प्रतिपादित नियमावली (सूचना का अधिकार) संशोधित नियमावली 2013 के अधीन किसी भी आवेदक को एक प्रश्न के वांछित उत्तर हेतु एक आवेदन करना होगा, प्रार्थी द्वारा एक आवेदन के अन्तर्गत विभिन्न प्रश्नों के बारे में उत्तर चाहे गये है।

2. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा प्रतिपादित संशोधित नियमावली (जन सूचना का अधिकार-2006) के पैरा 26 के अनुसार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कोई आवेदन किसी नागरिक से ऐसे मामले की सूचना देने हेतु स्वीकार नहीं करेगा जो न्यायनिर्णयन हेतु माननीय उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित है, सूचना जो न्यायिक मामले से सम्बन्धित है वे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद विनियम , 1952 या साधारण नियम (सिविल/दांडिक) यथास्थिति विहित प्रक्रिया के अधीन प्राप्त किये जा सकते हैं।"

3- प्रार्थी द्वारा एक ही आवेदन के अन्तर्गत कई सूचनाओं की अपेक्षा की गयी है जबकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा संशोधित नियमावली 2006 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक सूचना हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस प्रकार एक प्रार्थना पत्र पर एक ही सूचना दिया जाना नियम 3 के अन्तर्गत प्रावधानित है।

4- इस स्तर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006 के नियम 26 का उद्धरण किया जाना भी समीचीन प्रतीत होता है जो यह उपबन्ध करती है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी कोई आवेदन किसी नागरिक से ऐसे मामले की सूचना देने हेतु स्वीकार नहीं करेगा जो न्यायनिर्णयन हेतु उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित है, सूचना जो न्यायिक मामले से सम्बन्धित है वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय विनियम, 1952 या सामान्य नियम (सिविल/दांडिक) यथास्थिति विहित प्रक्रिया के अधीन प्राप्त किये जा सकते हैं।

5- इसी क्रम में सामान्य नियम (दांडिक), 1977 के नियम 141 का भी उद्धरण समीचिन प्रतीत होता है, जो यह उपबन्ध करती है कि " मामले या उसमें की किसी कार्यवाही या किसी न्यायिक कार्यवाही, जिसका अभिलेख न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के न्यायालय या अभिलेख कक्ष में है, के संबंध में क्रम संख्या, तिथि या अन्य रजिस्ट्रीकृत विशिष्ट विवरणों को सुनिश्चित, करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति अधिमानतः प्रारुप 7 (भाग-9,संख्या-45) में आवेदन, अभिलेख कक्ष के भारसाधक अधिकारी के समक्ष पेश करेगा या डाक द्वारा भेजेगा, जिस पर पाँच रुपये का न्यायालय फीस लेवल लगाया जायेगा और जिसमें सर्वोत्तम विवरण संस्थित करने के वर्ष और पक्षकारों के नाम के संबंध में दिया जायेगा, जैसा कि वह दे सकता है। वह आवेदन की प्राप्ति की तिथि के दस दिनों के भीतर तलाशी कराने तथा अभिलेखपाल द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित उसको दी गयी सूचना, यदि उपलब्ध हो, का हकदार होगा। "

6- इस प्रकार आवेदक वांछित सूचना संबंधित न्यायालय के समक्ष उपरोक्त नियम 141 के अन्तर्गत प्रारुप- 7 में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। अतः आवेदक द्वारा जन सूचना अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन, नियमावली 2006 के नियम 26 के आलोक में स्वीकार

नहीं की जा सकती। तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांकित 07-08-2025 निरस्त की जाती है।

7- यदि आवेदक उक्त आदेश से क्षुब्ध हो तो वह माननीय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/ जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर के समक्ष इस आदेश के पारित किये जाने से तीस दिवस के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय (सूचना का अधिकार) नियमावली, 2006 के नियम 24 के अन्तर्गत अपील संस्थित कर सकता है।

8- इस आदेश की एक प्रति नियमानुसार प्रार्थी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जाये ।

दिनांक-16.12.2025

16/12/2025

(संतोष कुमार गौतम)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट न० 01 मीरजापुर।

रजिस्टर्ड

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर।

पत्र संख्याः ज0सू0आनलाइन-113/2025 दिनांक-जुन 5/2025

सेवा में ,

श्री शिवम गुप्ता निवासी लोहन्दी रोडककरहवा पिन-231001, जनपद-मीरजापुर मो- 8756521496

कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांकित- 21.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से जनसूचना अधिकार अधि0 2005 के तहत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है। आप द्वारा अपेक्षित सूचना के क्रम थाना-को0 कटरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद मीरजापुर से सूचना प्राप्त की गयी, प्राप्त सूचना /आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

तद्नुसार आप अवगत हो।

संलग्नक- वर्क।

क्षेत्राधिकारी नगर,
जनपद मीरजापुर।

प्रतिलिपि- जनसूचना अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर को अपने पत्र संख्या – ज0सू0आनलाइन-113/2025 दिनांक- 26.05.2025 के सन्दर्भ मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।

76..

सिपाही चौकी मण्डी P/S को०कटरा जनपद मीरजापुर

सेवा में,

श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर (सहायक जन सूचना अधि०)
जनपद मीरजापुर

विषय :- सूचना के अधिकार अधि० 2005 के तहत ऑनलाइन रजि० सं० SP MZP/R/2025/60121 आवेदक श्री शिवम गुप्ता नि० लोहन्दी रोड ककरहवा जनपद मीरजापुर के प्रार्थना पत्र पर बिन्दुवार अनुपालन आख्या।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री शिवम गुप्ता उपरोक्त द्वारा अपने ऑनलाइन RTI आवेदन में बिन्दुवार आख्या की मांग की गयी है जिसकी बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

बिन्दु सं० 01:- आवेदक द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु०अ०सं० 58/25 धारा 115(2), 351(2), 352 BNS से सम्बन्धित जनरल डायरी की प्रति मांगी गयी है, जिसकी प्रमाणित प्रति आख्या के साथ संलग्न की जा रही है।

बिन्दु सं० 02:- आवेदक द्वारा श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ से जारी 126/135 BNS में बेल बाण्ड प्रति रिपोर्ट का जिसके द्वारा दाखिल की अपेक्षा की गयी है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सूचना को चौकी मण्डी थाना को०कटरा मीरजापुर पर तैनात स्वयं लिख है कि चौकी मण्डी थाना को०कटरा जितेन्द्र सिंह यादव द्वारा दाखिल कराकर वापस किया गया है मो० नं० 112690726 श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट मीरजापुर कार्यालय पुनः श्रीमान नगर मजिस्ट्रेट को दाखिल 126/135 BNS की

बिन्दु सं० 03:- इस बिन्दु में आवेदक द्वारा रिपोर्ट का दाखिल लेख है कि उपरोक्त दाखिल अपेक्षा की गयी है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मानवीय नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय मीरजापुर को प्राप्त होगी। का दाखिला कराया गया है जिसकी प्रति नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

बिन्दु सं० 04:- इस बिन्दु का सम्बन्ध प्राप्त विभाग से नहीं है। इस बिन्दु पर आवेदक द्वारा अपने मुकदमे 58/25 धारा 115(2), 351(2), 352 BNS में प्रगति आख्या मांगा गया है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ०नि० शशि मोहन राय थाना को०कटरा मीरजापुर द्वारा सम्पादित की गयी है जिसमें वादी/विवेचना अभियुक्त गण (1) विकास सिंह S/O श्याम बिहारी सिंह (2) दिलीप सिंह S/O राजकुमार (4) ओम प्रकाश सिंह S/O इमारीलाल सिंह (3) ... सिंह S/O इमारीलाल, सिंह निवासीगण लोहन्दी रोड ककरहवा,

(P.T.O.)

थाना को०कटरा जनपद मीरजापुर में विरुद्ध आरोप पत्र सं० 88/2025 दि० 17.05.2025 को प्रेषित कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है जिनके उभय पक्षों को शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु 126/135 BNS की कार्यवाही की गयी थी।

विशुद्ध अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

30.05.25
(रविकान्त सिंह)
उ०नि०
PI को०कटरा
मीरजापुर

संलग्नक:- 1) रिपोर्ट -01 प्रति
2) R12 प्रार्थना पत्र :- 01 प्रति
3) नकल चिक -01 प्रति

थाना कोतवाली कटरा मीरजापुर

Submitted
SHO
31/5/25